5/8/25 — पत्रा. पेश हुई। व्हा० उपग. वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता की सहमति के आधार पर दावा में प्रचलित जारी थी जा चुकी है। अतः प्रा.पत्र 212 आदेश 39 में पारीशुदा ब्यान आदेश में उपयनतारों से वाद के अंतिम निस्तारण तक पाबंद किया जाता है।

पत्रा. कोर्ट रूम से हो, नंबर में दर्ज होकर दाखिल दफ्तर हो।